Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 101-102 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

लोक अदालत प्रणाली : लोगों की दहलीज पर न्याय

गिरीश मणि त्रिपाठी[1]
[1]प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह पी0जी0 कालेज सिंगरामऊ, जौनपुर उ0प्र0 भारत

ABSTRACT

हमारे लोकतांत्रिक समाज में समान न्याय का वचन हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम स्वयं उस वचन को वास्तविकता में परिवर्तित करने के महान कार्य में समर्पित हों जाये। यह कार्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को शीघ्र न्याय दिलवाने की आवश्यकता के मुकाबले कहीं भी अधिक चुनौती पूर्ण प्रतीत नहीं होता। हमारे करोड़ों देशवासी किसी न किसी प्रकार से अन्याय के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का दावा करते हैं। केवल यही सही है कि उन्हीं दावों पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए, जो न्यायिक समाधान की उचित परिधि के अंतर्गत आते हों।

KEYWORDS: *संविधान, न्याय प्रणाली, लोकतंत्र, लोक अदालत*

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39क– अंतः स्थापित करके राज्यों पर कर्तव्य डाला गया है कि– वह निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार काम करेगा कि सबसे लिये समान न्याय सुनिश्चित हो।(बसु,1991पृ142) जैसा कि उद्देशिका में घोषित है। अनुच्छेद 39 क के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया।

विधिक सहायता कार्यक्रम केदोप्रमुख पहलू हैं–

प्रथम पहलू है, पारम्परिक दृष्टिकोण अर्थात्, गरीब पक्षकार को जिसका मुकदमा न्यायालय में है या प्रशासनिक अधिकरण में है या सरकारी विभाग में वित्तीय सहायता देना। विधिक सहायता कार्यक्रम का दूसरा पहलू है जिसे न्यायमूर्ति भगवती ''निवारक विधिक सहायता सेवा'' कार्यक्रम कहते हैं भारत जैसे विकासशील देश में इसका बड़ा महत्व है, जहॉ बेहद गरीबी, अज्ञानता और निरक्षरता है। लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का तथा उन्हें प्रवर्तित करने के साधनों का अभाव है। प्रायः न्यायिक या प्रशासनिक प्रतितोष पाने के लिये उन्हें उपलब्ध मशीनरी की जानकारी नहीं है। इस तथ्य से स्थिति और खराब हो जाती है कि हमारे न्यायालय और अधिकरण प्रतिकूल प्रभावकारी प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। यह प्रणाली अपने आप में तो विलम्बकारी है ही इसकी प्रतिकूल प्रभावकारी प्रणाली में किसी भी मुकदमें को हर तरह से लम्बा खींचने की काफी गुंजाइश है। सर्वोच्च न्यायालय सहित हमारे–न्यायालयों में मुकदमों के विशाल अम्बार भरे पड़े हैं। जिला न्यायालयों की स्थिति तो बहुत ही खराब है। कभी–कभी तो मुकदमें 10–12 वर्ष तक लटकें रहते हैं। इस प्रकार भारत में हमें निवारक विधिक सेवा कार्यक्रम पर जोर देना चाहिए।(विधिक सहायता संवाद पत्र जून 1991)

निवारक विधिक सहायता सेवा कार्यक्रम के संघटक

प्रथम इस कार्यक्रम का अभिप्राय है विधिक सेवा को लोगों के पास ले जाने और उनके विवादों को निपटाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरों में गरीब क्षेत्रों में विधिक सहायता शिविर और लोक अदालतें आयोजित करना। अंतिम लक्ष्य यह है कि विधिक सहायता देश की हर झोपड़ी तक पहुॅचे। समाज कल्याण की विधियों द्वारा एवं प्रशासनिक अध्युपायों के जरिये चलाये गये सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त अधिकारों और प्रसुविधाओं के बारे में लोगों में कानूनी जागरूकता पैदा करना। इस कार्यक्रम का तीसरा पहलू है विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कानूनी सहायता क्लीनिक खोलकर समाज के गरीब वर्गों की सेवा में विधि शिक्षकों और छात्रों को जुटाना। इस कार्यक्रम का चौथा पहलू है लोकहित को बढ़ावा देना ताकि गरीब लोगों को अधिकारों का लाभ मिल सके। अन्त में, पराविधिक लोगों को तथा असहाय वकीलों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम होना चाहिए।

लोक अदालतों के सम्बन्ध में आरोप लगाया जाता है :

एक लोक अदालत में 500–5000 मामलों का विनिश्चय करना कैसे सम्भव है जबकि एक जिले की समस्त अधीनस्थ न्यायपालिका एक दिन में 100 मामलों का भी विनिश्चय नहीं कर पाती।। दूसरा दोषारोपण है मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो यह कहे कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले मनगढ़न्त और मिथ्या है। फिर भी आक्षेप यह है कि सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बहुत कम प्रतिकर दिया जाता है और बीमा कम्पनियों की सांठ–गांठ में वकील पीड़ित लोगों को मूंड लेते हैं।

ये लोग विधिक सहायता कार्य की आलोचना करते हैं उन्हें पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कुछ दोष इस कार्य में लगे हुए लोगों का है। चारों तरफ भ्रान्ति फैली हुई है और हमने विधिक सहायता सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करने के लिये कोई

1: Corresponding Author

ठोस कार्य नहीं किया है। इस विषय पर बहुत अधिक साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। शायद ही कोई जनसम्पर्क का काम किया जाता हो। समाचार पत्रों में आये इतने ही समाचार प्रकाशित होते ही कि अमुक स्थान पर एक लोक अदालत का आयोजन किया गया और इसमें इतने मामलों को सुलझाया गया। यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति लोक अदालत का उद्घाटन करता है तो उसका नाम दे दिया जाता है। उनके भाषणों के एक या दो वाक्य उद्घृत कर दिये जाते हैं।इस लेख का आशय यह है कि लोक अदालतें किस प्रकार आयोजित की जाती है और इसकी पृष्ठ भूमि में क्या–क्या है।

लोक अदालत का उद्देश्य– लोक अदालत न्याय करने की एक नई प्रणाली है जो लोगों को तेजी से सस्ता न्याय देने की समस्या से जूझने के लिये अस्तित्व में आई है। यह आवश्यक है कि हम लोग यह साफ–साफ जान ले कि यह क्या है क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे है जो इस प्रयोग को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग इसे मखौल मानते हैं फिर भी कुछ लोग ऐसे है जो इस नये प्रयोग में आशा की किरण देखते हैं। किन्त लोक अदालत को वर्तमान न्याय प्रणाली का विकल्प नहीं माना जाता बल्कि उसका अनुपूरक माना जाता है, जिससे बकाया अम्बार कम हो जाये अपेक्षाकृत कम नये मामले संस्थित किये जाये। यदि इस पर विचार किया जाये तो हम पायेंगे लोक अदालत प्रणाली राष्ट्रपति के स्वराज्य और सर्वोदय के स्वप्न को साकार कर रही है। सर्वोदय की संकल्पना का अभिप्राय सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात् समस्त प्राणियों की भलाई अर्थात् गरीब एवं अमीर के बीच के अन्तर को मिटाना। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम दलित को गरीबी और अज्ञानता के गहन अंधकार से बाहर निकालने के लिये रचनात्मक ढंग से और सक्रिय रूप से काम करें। वे सदियों से अधीनता के वशीभूत रहे हैं। भारतीय संविधान में सबके लिये न्याय–सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की आधारभूत संकल्पना समाविष्ट है।

लोक अदालत की संकल्पना में निहित है बातचीत, समझा बुझाकर और सुलह कराकर लोगों के विवादों का निराकरण जिससे कि पक्षकारों की आपसी एवं स्वतंत्र सम्मति से शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिया जा सके, संक्षेप में लोक अदालत की संकल्पना में विवक्षित है– आम आदमी को उसकी दहलीज पर शीघ्र एवं सस्ता न्याय। यह भागीदारी का न्याय है जिसमें लोग और न्यायाधीश भाग लेते हैं और विचार विमर्श तथा आपसी सम्मति से विवादों का निराकरण करते हैं।(दैनिक जागरण,12 दिस02003)

लोक अदालतों के काम करने का ढंग– किसी गांव में या किसी अन्य क्षेत्र में पूर्व निर्धारित स्थान पर विधिक सहायता शिविर एवं लोक अदालत दिन भर चलती है जहां कानूनी सहायता दल सुलह समझौते से लोगों के झगड़े दूर करने के लिये एकत्र होते हैं इन दलों में सेवा निवृत्त न्यायाधीश जनसेवी स्वयं सेवी सामाजिक संगठन तथा उस परिक्षेत्र के बुजुर्ग होते हैं।

लोक अदालतों में हम प्रायः वे मामले लेते हैं जो न्यायालयों, अधिकरणों और कार्यपालिका के समक्ष लम्बित होते हैं। सम्बन्धित कानूनी सहायता समिति कम से कम एक मास पहले लोक अदालत आयोजित करने के लिये तारीख की घोषणा करती है। यह भी तय करती है कि किस प्रकार के मामले लोग अदालत में लिये जायेंगे। जिला एवं सेशन न्यायाधीश जो अधिकांश राज्यों में जिला विधिक सहायता समिति का अध्यक्ष होता है, उस क्षेत्र के बारे में उप न्यायधीशों को निर्देश देता है जो उस लोक अदालत के अंतर्गत लिया जायेगा ताकि लम्बित मामलों की सूची तैयार की जा सके जिन्हें वे बातचीत द्वारा समझौते के लिये उपयुक्त समझें।

मामले सिविल, राजस्व, शमनीय, दाण्डिक विवाद हो सकते हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मामलों में लोक अदालत आयोजन से पहले पक्षकारों के बीच सहमति नहीं हो पाती तो मामला नियमित विचारण के लिये न्यायालय के पास वापस भेज दिया जाता है यही वास्तविकता है। लोक अदालत प्रणाली के बारे में अनेक आशंकायें विद्यमान है। इनमें से एक है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायपालिका की सक्रिय भागीदारी की। कुछ लोगों कहना है कि इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है। दूसरी आलोचना यह की जाती है कि लोगों को डरा धमका कर समझौता कराया जाता है।

वस्तुतः निहित स्वार्थों के वशीभूत लोग ही इस कार्यक्रम को कलंकित करने के लिये इतनी बातें बनाते हैं, धोखाधड़ी और कपट की बातें करते हैं ताकि वे तनाव पैदा करके और लोगों के कष्टों का शोषण करके फायदाय उठायें। कभी–कभी वकीलों को गुमराह किया जाता है कि उनकी आमदनी कम हो जायेगी, परन्तु ऐसा नहीं है जो वकील इस काम में लगे हैं उनकी प्रतिष्ठा दूसरे वकीलों से अधिक है।

इस प्रकार लोक अदालत प्रणाली के जरिये न्यायिक विनिश्चय करने में सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी विधि और न्यायिक प्रक्रिया को व्यवसायकरणहीन तथा शोषणहीन बनाने में मदद करती है क्योंकि लोक अदालतें लोगों की भागीदारी के जरिये अपनी दहलीज पर अपनी दहलीज पर अपने विवादों को अपने आप सुलझाने में समर्थ बनाती है।

संदर्भ

विधिक सहायता संवाद पत्र, मई (1987), नई दिल्ली, भारत सरकार

बसु, दुर्गा दास (1991) : *भारत का संविधान* सांतवा संस्करण,

लोक अदालतों की उपयोगिता, *दैनिक जागरण,* वाराणसी संस्करण, दिनांक 12दिसंबर 2013